NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 01-05-2025

विषय सूची

जोखिमग्रस्त समाज में महिलाओं पर असंगत भार

वियतनाम युद्ध की समाप्ति के 50 वर्ष

कैबिनेट ने आगामी जनगणना में जाति गणना को मंजूरी दी

डिजिटल पहुँच का अधिकार अनुच्छेद 21 का भाग

उच्चतम न्यायालय ने सीमित परिस्थितियों में मध्यस्थता निर्णयों को संशोधित करने की न्यायालयों की शक्ति को बरकरार रखा

S8 तनाव और ब्रह्मांड की अव्यवस्था

भारत ने स्टॉकहोम सम्मेलन में क्लोरपाइरीफोस को शामिल करने का विरोध किया

संक्षिप्त समाचार

जगद्गुरु बसवेश्वर

थ्रिशूर पूरम

ज़ोजिला दर्रा

अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस

गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य (FRP)।

टिड्डी

चोलिस्तान नहर परियोजना

शिव शक्ति पॉइंट

जोखिमग्रस्त समाज में महिलाओं पर असंगत बोझ

संदर्भ

- आधुनिक संकटों द्वारा आकार दिए गए जोखिमग्रस्त समाज में, वर्तमान लैंगिक असमानताओं और देखभाल की ज़िम्मेदारियों के कारण महिलाएँ असमान रूप से भार वहन करती हैं।

जोखिमग्रस्त समाज क्या है?

- 'जोखिमग्रस्त समाज' शब्द एक औद्योगिक समाज से एक ऐसे समाज में बदलाव को दर्शाता है, जो तकनीकी एवं पर्यावरणीय विकास द्वारा निर्मित अनिश्चितता और खतरों से प्रभावित होता है।
- औद्योगिक समाजों ने समृद्धि लाई, लेकिन साथ ही जलवायु परिवर्तन और महामारी जैसी वैश्विक जटिलताओं को भी जन्म दिया, जो प्राकृतिक कारणों के बजाय मानव प्रगति से उत्पन्न होते हैं।
- 'जोखिमग्रस्त समाज' शब्द को जर्मन समाजशास्त्री **उलरिच बेक** ने अपनी 1986 की पुस्तक जोखिमग्रस्त समाज: एक नई आधुनिकता की ओर में प्रतिपादित किया था।

जोखिमग्रस्त समाज में लैंगिक प्रभाव

- **पर्यावरणीय और स्वास्थ्य जोखिम:**
  - महिलाओं की जल संग्रहण ज़िम्मेदारी उन्हें दूषित स्रोतों के संपर्क में लाती है, जिससे जलजनित बीमारियों की संवेदनशीलता बढ़ जाती है।
  - ठोस ईंधन के उपयोग से खाना पकाने के दौरान इनडोर वायु प्रदूषण के कारण पुरानी श्वसन संबंधी बीमारियाँ होती हैं।
  - लिंग मानदंडों के कारण महिलाओं को खाद्य संकट में आखिरी या कम पौष्टिक भोजन मिलता है, जिससे स्वास्थ्य खराब होता है। **NFHS-5 (2019–21)** के अनुसार, भारत में **57%** महिलाएँ **एनीमिया** से पीड़ित हैं, जबकि पुरुषों में यह आँकड़ा **25%** है।
- **आर्थिक असुरक्षा:**
  - महिलाएँ अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करने की अधिक संभावना रखती हैं, जहाँ रोजगार की सुरक्षा और बचत सीमित होती है।
  - भूमि और संपत्ति का कम स्वामित्व उन्हें आपदा के बाद पुनर्प्राप्ति में कमजोर बनाता है।
  - महिलाओं को ऋण और संस्थागत सहायता तक कम पहुँच मिलती है, जिससे वे अधिक निर्भर एवं संकटों में कम सहनशील होती हैं।
  - **अवैतनिक देखभाल कार्य** अतिरिक्त शारीरिक और भावनात्मक तनाव बढ़ाता है।
- **राजनीतिक और संस्थागत बहिष्करण:** महिलाओं के दृष्टिकोण को आपदा तैयारी, जलवायु नीतियों और स्वास्थ्य प्रणालियों की निर्णय प्रक्रियाओं में प्रायः कम महत्त्व दिया जाता है, जिससे निम्नलिखित समस्याएँ उत्पन्न होती हैं:
  - **लैंगिक दृष्टिकोण को अनदेखी करती नीतियाँ**, जो महिलाओं की विशेष आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करतीं।
  - महिलाओं के स्थानीय ज्ञान और सामुदायिक नेटवर्क का जोखिम शमन में उपयोग नहीं किया जाता।

आगे की राह

- **लैंगिक परिप्रेक्ष्य को मुख्यधारा में लाना:** जोखिम शमन रणनीतियों, जैसे जलवायु प्रतिरोधकता और महामारी प्रतिक्रिया, में लैंगिक परिप्रेक्ष्य को शामिल करना आवश्यक है।
- **आर्थिक सशक्तीकरण:** भूमि अधिकार, वित्तीय पहुँच और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को महिलाओं की पुनर्प्राप्ति क्षमता मजबूत करने के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- **देखभाल संबंधी बुनियादी ढाँचे में निवेश: क्रेच, स्वास्थ्य बीमा, सामुदायिक रसोई** जैसी सेवाओं द्वारा अवैतनिक देखभाल कार्य को पहचानना और समर्थन देना महिलाओं के भार को कम कर सकता है।
- **शासन में भागीदारी:** आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों से लेकर स्थानीय योजना निकायों तक, महिलाओं के प्रतिनिधित्व को संस्थागत बनाना आवश्यक है।

Source: TH

वियतनाम युद्ध की समाप्ति के 50 वर्ष

संदर्भ

- वियतनामी नागरिकों ने वियतनाम युद्ध की समाप्ति की 50वीं वर्षगांठ मनाई।

पृष्ठभूमि

- वियतनाम 19वीं सदी के मध्य से फ्रांसीसी उपनिवेश था, जो फ्रेंच इंडोचाइना (लाओस और कंबोडिया के साथ) का हिस्सा था।
- द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जापान ने वियतनाम पर कब्जा कर लिया लेकिन फ्रांसीसियों को कुछ नियंत्रण बनाए रखने दिया।
- 1945 में जापान की पराजय के पश्चात्, हो चि मिन्ह (वियत मिन्ह—वियतनाम की स्वतंत्रता लीग—के नेता) ने वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा की।
- हालाँकि, फ्रांस ने फिर से उपनिवेशीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया, जिससे प्रथम इंडोचाइना युद्ध प्रारंभ हुआ।

वियतनाम युद्ध

- वियतनाम युद्ध — जिसे द्वितीय इंडो-चाइना युद्ध भी कहा जाता है— 1955 से 1975 तक चला। यह उत्तर वियतनाम (साम्यवादी) और दक्षिण वियतनाम (ग़ैर-साम्यवादी) के बीच एक लंबा संघर्ष था, जिसमें अमेरिका ने दक्षिण वियतनाम का समर्थन किया।
- **उत्तर वियतनाम:** हो चि मिन्ह और साम्यवादी पार्टी के नेतृत्व में; सोवियत संघ, चीन और अन्य साम्यवादी सहयोगियों से समर्थन प्राप्त।
- **दक्षिण वियतनाम:** शुरुआत में न्गो दिनह दियेम, बाद में कई नेताओं द्वारा संचालित (कई सैन्य तख्तापलट हुए)।
  - अमेरिका, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड और अन्य देशों का समर्थन प्राप्त।

युद्ध के कारण

- **वियतनाम का विभाजन:** 1954 जिनेवा समझौते के तहत, वियतनाम को 17वें समानांतर पर अस्थायी रूप से उत्तर और दक्षिण वियतनाम में विभाजित किया गया।
- **शीत युद्ध तनाव:** अमेरिका को एशिया में साम्यवाद का विस्तार खतरे के रूप में दिखा (डोमिनो सिद्धांत)।
- **आंतरिक संघर्ष:** दक्षिण में साम्यवादी वियत कांग विद्रोह वियतनाम को साम्यवादी शासन के तहत एकीकृत करना चाहता था।

मुख्य चरण

- **सलाहकार चरण (1955–1963):**
  - अमेरिका ने दक्षिण वियतनामी सरकार को सैन्य सलाहकार और सहायता प्रदान की।
  - न्गो दिनह दियेम का शासन अलोकप्रिय हुआ और 1963 में अमेरिकी-समर्थित तख्तापलट में हटा दिया गया।
- **तीव्र संघर्ष (1964–1969):**
  - **गल्फ ऑफ टोंकिन घटना (1964):** अमेरिकी जहाजों पर कथित हमले के पश्चात्, अमेरिका ने युद्ध में सक्रिय भाग लेना प्रारंभ किया।
  - 1969 तक अमेरिकी सैनिकों की संख्या 5,00,000 से अधिक पहुँची।
  - **प्रमुख लड़ाइयाँ:** टेट आक्रमण (1968), ह्यू की लड़ाई, खे सान्ह।
  - नेपलम, एजेंट ऑरेंज, और व्यापक बमबारी के इस्तेमाल से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तीखी आलोचना हुई।
- **वापसी (1969–1973):**
  - राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने वियतनामीकरण प्रारंभ किया—दक्षिण वियतनामी सेना को युद्ध की ज़िम्मेदारी देने की योजना।
  - अमेरिकी सेना ने धीरे-धीरे हटना प्रारंभ किया; 1973 में पेरिस शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए।
- **अंतिम पतन (1973–1975):**
  - अमेरिकी वापसी के बाद भी युद्ध जारी रहा।
  - **साइगॉन का पतन (30 अप्रैल 1975):** उत्तर वियतनामी सेना ने दक्षिण वियतनाम की राजधानी पर नियंत्रण कर लिया, जिससे युद्ध समाप्त हो गया।

- वियतनाम को एकीकृत कर साम्यवादी शासन के तहत सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम घोषित किया गया।

एजेंट ऑरेंज

- एजेंट ऑरेंज एक शक्तिशाली शाकनाशी था जिसका इस्तेमाल वियतनाम युद्ध के दौरान ऑपरेशन रेंच हैंड (1961-1971) के हिस्से के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना द्वारा किया गया था।
- यह अपने विनाशकारी स्वास्थ्य और पर्यावरणीय प्रभावों के कारण युद्ध के सबसे विवादास्पद पहलुओं में से एक बन गया।
  - 2,4,5-T की निर्माण प्रक्रिया ने TCDD नामक एक खतरनाक डाइऑक्सिन संदूषक बनाया, जो सबसे जहरीले रसायनों में से एक है।
- अमेरिकी सेना ने एजेंट ऑरेंज का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया:
  - दुश्मन के कवर (विशेष रूप से वियत कांग के लिए) को कम करने के लिए वनों और जंगलों को नष्ट करना।
- उत्तर वियतनामी सेना को खिलाने के लिए उपयोग की जाने वाली फसलों को नष्ट करना।
- दक्षिण वियतनाम में, विशेष रूप से घने जंगलों और ग्रामीण खेतों में 20 मिलियन गैलन से अधिक शाकनाशी का छिड़काव किया गया।
- **परिणाम:**
  - एजेंट ऑरेंज युद्ध की मानवीय और नैतिक लागत का प्रतीक बना हुआ है।
  - वियतनामी रेड क्रॉस, USAID और अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों द्वारा कार्यक्रम पीड़ितों का समर्थन करने और पर्यावरण को साफ करने के लिए कार्य कर रहे हैं।
  - कई लोग प्रभावित सभी लोगों के लिए निरंतर समर्थन, न्याय और मान्यता की वकालत करते हैं।

Source: TH

कैबिनेट ने आगामी जनगणना में जाति गणना को मंजूरी दी

संदर्भ

- हाल ही में **मंत्रिमंडल की राजनीतिक मामलों की समिति (CCPA)**, जिसकी अध्यक्षता भारत के **प्रधानमंत्री** कर रहे हैं, ने आगामी **जनगणना** में जाति गणना को शामिल करने का निर्णय लिया है। यह भारत की जनसांख्यिकीय डेटा संग्रह की पद्धति में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव है।

जाति आधारित गणना

- **ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य:**
  - भारत में आखिरी **जाति आधारित गणना 1931** में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत की गई थी, जिसमें **4,147 विभिन्न जातियों** को दर्ज किया गया था।
  - **1941** में जातीय डेटा एकत्रित किया गया था, लेकिन **द्वितीय विश्व युद्ध** के कारण इसे प्रकाशित नहीं किया गया।
  - **स्वतंत्रता के पश्चात्**, केवल **अनुसूचित जाति (SCs) और अनुसूचित जनजाति (STs)** को दशक में एक बार होने वाली **जनगणना** में गिना गया।
  - **1961** में केंद्र सरकार ने राज्यों को **अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs)** की पहचान के लिए अपने स्वयं के सर्वेक्षण करने की अनुमति दी।
  - **2011** में **सामाजिक-आर्थिक जाति गणना** (SECC) आयोजित की गई थी, जिसका उद्देश्य विभिन्न समुदायों की **सामाजिक-आर्थिक स्थिति** का डेटा प्राप्त करना था।

निर्णय का संवैधानिक आधार

- **केंद्र का विषय:** भारत के संविधान के **अनुच्छेद 246** के अनुसार, **जनगणना** केंद्र सरकार के **संघ सूची** में आती है।
  - इससे जाति गणना एक **एकरूप और पारदर्शी ढाँचा** के तहत संचालित की जा सकेगी।
  - **जनगणना अधिनियम, 1948** भारत में **जनसंख्या गणना** संचालित करने की **कानूनी रूपरेखा** प्रदान

करता है। यह **प्रक्रियाएँ, कर्त्तव्य, और दंड** को परिभाषित करता है।

जाति गणना का महत्त्व

- **डिजिटल जनगणना:**
  - अगली **जनगणना डिजिटल मोड** में आयोजित की जाएगी, जहाँ **प्रश्नावली को मोबाइल ऐप** के माध्यम से भरा जा सकेगा।
  - जाति गणना के लिए एक **नया कॉलम** जोड़ा जाएगा, जिसमें **ड्रॉप-डाउन कोड निर्देशिका** से जाति का चयन किया जा सकेगा।
- **डाटा आधारित नीति निर्माण:**
  - **विस्तृत जातीय डेटा** साक्ष्य-आधारित शासन को सक्षम करेगा, जिससे **शिक्षा, रोजगार और कल्याण कार्यक्रमों** में उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा।
  - यह **आरक्षण नीतियों** को बेहतर बनाने में सहायता करेगा।
  - **महिलाओं के लिए 33% आरक्षण** को **संसद और राज्य विधानसभाओं** में लागू करने में सहायक होगा।
- **सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को संबोधित करना:**
  - डेटा जातीय समूहों के बीच **आर्थिक असमानताओं** की पहचान करेगा, जिससे लक्षित विकास कार्यक्रमों को लागू किया जा सकेगा।
- **न्यायिक माँग:**
  - **इंद्रा साहनी मामले** में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी जाति या समूह की **पिछड़ेपन** की पहचान **उचित मूल्यांकन और वस्तुनिष्ठ विश्लेषण** के आधार पर ही की जानी चाहिए।

जाति गणना से जुड़ी चिंताएँ

- **राजनीतिक दुरुपयोग की संभावना:**
  - आलोचकों का मानना है कि **जाति गणना** को **चुनावी रणनीतियों** को प्रभावित करने के लिए **राजनीतिक हथियार** के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।
  - राज्य स्तरीय **जाति सर्वेक्षणों** की **पारदर्शिता** पर भी प्रश्न उठाए गए हैं, कुछ मामलों में इन्हें **राजनीतिक हितों** के लिए संचालित माना गया है।
- **सामाजिक विभाजन का खतरा:**
  - जाति गणना से जातिगत पहचान को **मजबूत** करने का डर है, जिससे **विभाजन** बढ़ सकता है।
  - **जाति-आधारित आरक्षण** पर बहस तेज हो सकती है, जिससे **सामाजिक तनाव** उत्पन्न हो सकता है।
- **कार्यान्वयन में चुनौतियाँ:**
  - **सटीक डेटा संग्रह** सुनिश्चित करना एक चुनौती होगी, क्योंकि **गलत रिपोर्टिंग** या **बदलाव** की संभावना बनी रहती है।
  - जातियों के **वर्गीकरण की पद्धति** को **पारदर्शी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित** किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

- आगामी **जनगणना में जाति गणना को शामिल करना** एक ऐतिहासिक निर्णय है, जो **भारत के सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य** को नया आकार देने की क्षमता रखता है।
- इससे सरकार को **विस्तृत जातीय जनसांख्यिकी डेटा** प्राप्त होगा, जिससे **असमानताओं को दूर करने** और **समावेशी विकास** को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा।
- जैसे-जैसे **जनगणना** आगे बढ़ेगी, इसकी **नीति निर्माण और सामाजिक प्रभाव** पर पैनी नजर रखी जाएगी।

Source: TH

डिजिटल पहुँच का अधिकार अनुच्छेद 21 का भाग

संदर्भ

- उच्चतम न्यायालय ने बल देकर कहा कि **डिजिटल पहुँच** जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) का एक **महत्त्वपूर्ण घटक** है।

पृष्ठभूमि

- यह निर्णय **एसिड अटैक पीड़ितों** के एक समूह द्वारा दायर **याचिका** पर आधारित था।
- उन्होंने चिंता जताई कि **दिव्यांग लोग**, जिनमें **एसिड हमले के पीड़ित** भी शामिल हैं, **डिजिटल KYC प्रक्रियाओं** को सफलतापूर्वक पूरा करने में **असंभव** जैसा अनुभव करते हैं, क्योंकि इन प्रक्रियाओं में **दृश्य कार्य** शामिल होते हैं।

उच्चतम न्यायलय का निर्णय

- कोर्ट ने कहा कि **राज्य** की यह जिम्मेदारी है कि वह **हाशिए पर रहने वाले, वंचित, कमजोर, दिव्यांग और ऐतिहासिक रूप से बहिष्कृत वर्गों** के लिए **समावेशी डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र** उपलब्ध कराए।
- **KYC पहुँच सुधारने के निर्देश:**
  - **जो लोग पलक नहीं झपका सकते या चेहरे की पहचान प्रणाली का उपयोग नहीं कर सकते**, उनके लिए **वैकल्पिक सत्यापन तंत्र** लागू किया जाना चाहिए।
  - **दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD Act)** की **धारा 46** का पूरी तरह अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, जिसमें **इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में पहुँच** का प्रावधान है।
  - **वेबसाइटों, मोबाइल एप्लिकेशन और डिजिटल प्लेटफार्मों** को **सार्वभौमिक पहुँच मानकों** के अनुरूप बनाया जाना चाहिए।
- **संविधान के अनुच्छेद 21, 14, 15 और 38** के तहत **राज्य की जिम्मेदारी** में यह शामिल होना चाहिए कि **डिजिटल अवसंरचना, सरकारी पोर्टल और वित्तीय प्रौद्योगिकियाँ** सभी के लिए **सुलभ** हों।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21

- किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, जब तक कि विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन न किया जाए।
- अनुच्छेद 21 मौलिक अधिकारों (भाग III) का हिस्सा है। यह सभी व्यक्तियों, चाहे नागरिक हों या गैर-नागरिक, को सुनिश्चित किया गया है।
- यह राज्य को प्रतिबंधित करता है कि वह किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता में मनमाने हस्तक्षेप न करे।
  - समय के साथ, न्यायालयों ने इसकी व्याख्या यह करते हुए की है कि राज्य पर यह सकारात्मक दायित्व भी लागू होता है कि वह गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करे।

अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सम्मिलित अधिकार (न्यायिक व्याख्या)

अधिकार	ऐतिहासिक मामले
आजीविका का अधिकार	ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (1985)
स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार	सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य (1991)
शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21ए से पहले)	मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य (1992)
निजता का अधिकार	न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017)
सम्मान के साथ मरने का अधिकार	कॉमन कॉज बनाम भारत संघ (2018)

Source: TH

उच्चतम न्यायालय ने सीमित परिस्थितियों में मध्यस्थता निर्णयों को संशोधित करने की न्यायालयों की शक्ति को बरकरार रखा

समाचार में

- भारत के उच्चतम न्यायालय ने बहुमत (4:1) निर्णय में कहा कि न्यायालयों को मध्यस्थता निर्णयों (Arbitral Awards) में संशोधन करने की सीमित शक्ति प्राप्त है,

जैसा कि 1996 के मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 34 में उल्लिखित है।

पृष्ठभूमि

- यह निर्णय फरवरी 2024 में तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा संदर्भित कानूनी प्रश्न के जवाब में आया, जिसमें न्यायालयों द्वारा मध्यस्थता पुरस्कारों में संशोधन करने की क्षमता को स्पष्ट करने की आवश्यकता थी।

मध्यस्थता (Arbitration)

- यह विवाद समाधान का एक वैकल्पिक तरीका है, जिसे 1996 के कानून के तहत लागू किया गया है।
- इसका उद्देश्य न्यायालयों की भूमिका को सीमित करना है, जिससे वे मध्यस्थता न्यायाधिकरणों (Arbitral Tribunals) के निर्णयों में कम हस्तक्षेप कर सकें।

निर्णय के प्रमुख बिंदु

- **संशोधन की सीमित शक्तियाँ:**
  - अदालतें अवैध हिस्सों को हटाने या टाइपो, गणना और लिपिकीय त्रुटियों को सुधारने के लिए मध्यस्थता निर्णयों को संशोधित कर सकती हैं।
  - आवश्यकतानुसार, पुरस्कार के बाद ब्याज दर को समायोजित किया जा सकता है।
- **न्यायिक हस्तक्षेप के सीमित आधार:**
  - 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत न्यायिक हस्तक्षेप केवल नियत सीमाओं तक सीमित है, जैसे सार्वजनिक नीति या धोखाधड़ी।
  - अदालतें तथ्यात्मक त्रुटियों को सुधार नहीं सकतीं, खर्चों पर पुनर्विचार नहीं कर सकतीं, या मध्यस्थता पुरस्कार के गुण-दोष की समीक्षा नहीं कर सकतीं।
- **अनुच्छेद 142 की शक्तियाँ:**
  - उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 142 के तहत अपने निहित अधिकारों (Inherent Powers) का उपयोग कर सकता है ताकि मध्यस्थता निर्णयों से जुड़े मामलों में पूर्ण न्याय सुनिश्चित किया जा सके।
  - हालाँकि, इस शक्ति का सावधानीपूर्वक और 1996 के मध्यस्थता अधिनियम के सिद्धांतों के अनुसार प्रयोग किया जाना चाहिए।

क्या आप जानते हैं?

- मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 34 न्यायालय को सार्वजनिक नीति के उल्लंघन, मौलिक कानूनी सिद्धांतों, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार या नैतिक अन्याय जैसे विशिष्ट आधारों पर मध्यस्थता निर्णय को रद्द करने की अनुमति देती है।
  - धारा 37 उन परिस्थितियों से संबंधित है, जिनमें मध्यस्थता विवाद में आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है।
- हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने बहुमत के फैसले में उल्लेख किया कि उसने लंबी मुकदमेबाजी से बचने और न्याय सुनिश्चित करने के लिए अतीत में कभी-कभी मध्यस्थता निर्णयों को संशोधित किया था, भले ही धारा 34 के तहत इस तरह के संशोधन का स्पष्ट रूप से प्रावधान नहीं किया गया है।

मतभेद

- न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने तर्क दिया कि जब तक कानून द्वारा विशेष रूप से अनुमति न दी जाए, तब तक मध्यस्थ निर्णयों को संशोधित नहीं किया जा सकता।
  - धारा 34 केवल पुरस्कारों को रद्द करने की अनुमति देती है, उन्हें संशोधित करने की नहीं।
- असहमति केंद्र के दृष्टिकोण को दर्शाती है, जिसने इस बात पर बल दिया कि संशोधित करने की शक्ति वैधानिक रूप से प्रदान की जानी चाहिए।
- वकीलों ने तर्क दिया कि अदालतों को मध्यस्थ पुरस्कारों को संशोधित करने की अनुमति देने से उन्हें अदालती आदेशों से बदला जा सकता है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय निहितार्थ हो सकते हैं।
- मध्यस्थ पुरस्कारों को संशोधित करने से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के तहत उन्हें लागू करने में समस्याएँ हो सकती हैं।

Source :TH

S8 तनाव और ब्रह्मांड की अव्यवस्था

संदर्भ

- नवीनतम शोध से संकेत मिलता है कि **ब्रह्मांड की मौलिक प्रकृति** को समझने की कुंजी **इसकी गुच्छेदार संरचना (Clumpiness)** को जानने में निहित है।

ब्रह्मांड की गुच्छेदार संरचना

- **बिग बैंग** के माध्यम से ब्रह्मांड की उत्पत्ति **13.8 अरब वर्ष** पहले एक **शून्य** में हुई, जिसके बाद इसका **विस्तार** हुआ और **आकाशगंगाएँ, तारा समूह, सौर मंडल और ग्रह** बने।
- जब वैज्ञानिकों ने **कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड (CMB)**—जो कि **बिग बैंग से बची हुई विकिरण** है—का अध्ययन किया, तो उन्होंने आकाश में **एकसमान प्रकाश** देखा।
- उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि **प्रारंभिक ब्रह्मांड** आश्चर्यजनक रूप से **समान** था, जहाँ केवल **घनत्व में छोटे अंतर** थे।

S8 तनाव (S8 Tension)

- **ब्रह्मांड की गुच्छेदार संरचना** का अर्थ है **पदार्थ का असमान वितरण**, जहाँ कुछ क्षेत्रों (जैसे **आकाशगंगाओं और आकाशगंगा समूहों**) में **अधिक पदार्थ** केंद्रित है, जबकि अन्य क्षेत्र **अपेक्षाकृत रिक्त** हैं।
- इस **"गुच्छेदार संरचना"** को **"गुच्छेदार संरचना कारक"** (Clumpiness Factor) से मापा जाता है, जिसे प्रायः **S8** द्वारा दर्शाया जाता है।
- **उच्च S8 मूल्य** अधिक **गुच्छीयता** को दर्शाता है, जिससे अधिक मात्रा में **पदार्थ केंद्रित** होता है, जबकि **निम्न S8 मूल्य** पदार्थ के अधिक **समान वितरण** को दर्शाता है।
- **S8 तनाव:** समस्या तब उत्पन्न हुई जब खगोलविदों ने **S8 के मान को मापने के विभिन्न तरीके** अपनाए और विभिन्न **अनुमान** प्राप्त किए।
- इस **असहमति** को **"S8 तनाव"** के रूप में जाना जाता है।

इसका महत्त्व क्यों है?

- यदि इस **तनाव** को केवल **पर्यवेक्षणात्मक अनिश्चितताओं** द्वारा समझाया नहीं जा सकता, तो इसका अर्थ हो सकता है:
  - लैम्ब्डा कोल्ड डार्क मैटर (ΛCDM) मॉडल अपूर्ण है या इसे संशोधित करने की आवश्यकता है।
  - डार्क मैटर या डार्क एनर्जी वर्तमान मान्यताओं से भिन्न व्यवहार कर सकती है।
  - नया भौतिकी सिद्धांत शामिल हो सकता है (जैसे कि इंटरेक्टिंग डार्क एनर्जी, संशोधित गुरुत्वाकर्षण, या समय-परिवर्तनशील मौलिक स्थिरांक

लैम्ब्डा कोल्ड डार्क मैटर (ΛCDM) मॉडल

- विगत कई वर्षों से, ब्रह्मांड विज्ञानियों ने प्रारंभिक ब्रह्मांड में पदार्थ के समग्र प्रसार का मानचित्रण करने का प्रयास किया है।
- मानक ब्रह्मांड विज्ञान मॉडल, ΛCDM मॉडल में, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी - ब्रह्मांड के विस्तार को संचालित करने वाली रहस्यमयी शक्ति - ब्रह्मांड का लगभग 95% भाग बनाती है।
- इन घटकों के बीच परस्पर क्रिया इस बात को प्रभावित करती है कि कैसे आदिम उतार-चढ़ाव बड़े पैमाने की संरचनाओं में विकसित हुए जिन्हें हम आज देखते हैं।

Source: TH

भारत ने स्टॉकहोम सम्मेलन में क्लोरपाइरीफोस को शामिल करने का विरोध किया

समाचार में

- स्विट्जरलैंड में बेसल, रॉटरडैम और स्टॉकहोम (BRS) सम्मेलनों के पक्षकारों की बैठकों में, भारत ने विकल्पों की कमी के कारण खाद्य सुरक्षा पर चिंताओं का हवाला देते हुए, स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों (POPs) पर स्टॉकहोम सम्मेलन के तहत कीटनाशक क्लोरपाइरीफोस को शामिल करने का विरोध किया है।
  - 40 से अधिक देशों ने क्लोरपाइरीफोस पर प्रतिबंध लगा दिया है।

क्लोरपाइरीफोस

- यह एक कीटनाशक है जो एक ऐसा रसायन है जो लगातार संपर्क में रहने पर न्यूरोडेवलपमेंट, जन्म के समय बच्चे के आकार में कमी, फेफड़े और प्रोस्टेट कैंसर पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने क्लोरपाइरीफोस को मध्यम रूप से खतरनाक कीटनाशक के रूप में वर्गीकृत किया है।
- यह रसायन एसिटाइल कोलिनेस्टरेज़ नामक एंजाइम को रोकता है, जिसके परिणामस्वरूप तंत्रिका तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन (POPs)

- इसे मई 2001 में स्टॉकहोम, स्वीडन में अपनाया गया था, और पचासवें अनुसमर्थन या परिग्रहण के प्रस्तुत होने के बाद 17 मई 2004 को लागू हुआ।
- इसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को हानिकारक रसायनों से बचाना है जिन्हें लगातार कार्बनिक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है।
  - यह सदस्य देशों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए मध्यस्थता और सुलह प्रक्रियाओं की स्थापना के लिए पार्टियों के सम्मेलन को भी अधिकृत करता है।
- स्टॉकहोम कन्वेंशन तीन अनुलग्नकों में रसायनों को सूचीबद्ध करता है।
  - जबकि अनुलग्नक A में समाप्त किए जाने वाले रसायनों की सूची है, अनुलग्नक B और C में प्रतिबंधित किए जाने वाले रसायनों की सूची है, और सूचीबद्ध रसायनों के अज्ञात उत्पादन और रिलीज को कम करना है।

क्लोरपाइरीफोस को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के कदम

- **यूरोपीय संघ** ने **2021** में **क्लोरपाइरीफोस** को **वैश्विक चरणबद्ध उन्मूलन** के लिए नामांकित किया।
- **2024 में, स्थायी जैविक प्रदूषक समीक्षा समिति (POPRC)** ने **क्लोरपाइरीफोस** को **संमेलन के अनुच्छेद A** (उन्मूलन) में शामिल करने की **सिफारिश** की, जिसमें कुछ **विशिष्ट उपयोगों** (जैसे पौध संरक्षण, मवेशी टिक नियंत्रण, और लकड़ी संरक्षण) के लिए **छूट** दी गई।
- **बासेल, रॉटरडैम और स्टॉकहोम (BRS) संमेलन** में, विभिन्न देशों ने **कृषि उपयोग और कीट नियंत्रण** के लिए **क्लोरपाइरीफोस के अपवादों** पर चर्चा की, जहाँ **भारत और अन्य देशों** ने कुछ **विशेष छूट** की माँग की।

भारत की स्थिति

- **क्लोरपाइरीफोस** को भारत में **1977** से **पंजीकृत** किया गया है और **2016-17** में यह देश में सबसे अधिक **प्रयुक्त कीटनाशक** था।
- भारत ने तर्क दिया कि **क्लोरपाइरीफोस कृषि और कीट नियंत्रण** के लिए **महत्त्वपूर्ण** है, विशेष रूप से **शहरी कीटों** और **वेक्टर जनित रोगों** के लिए।
- भारत में **कॉकरोच और दीमक** जैसी **शहरी कीटों** के नियंत्रण और **वेक्टर जनित रोगों** के नियंत्रण में इसका व्यापक उपयोग किया जाता है।
- **भारत में खाद्य उत्पादों** में **क्लोरपाइरीफोस अवशेष** पाए गए हैं, और **2024 के अध्ययन** में परीक्षण किए गए **33% नमूनों** में यह रसायन पाया गया।
- **अनुपम वर्मा समिति**, जिसे **2013 में** गठित किया गया था, ने **66 कीटनाशकों** की समीक्षा की, जिन्हें अन्य देशों में **प्रतिबंधित, सीमित, या वापस लिया** गया था, लेकिन भारत में अभी भी **प्रयोग में** थे। **2015 की रिपोर्ट** में समिति ने स्वीकार किया कि **क्लोरपाइरीफोस मछलियों और मधुमक्खियों के लिए विषाक्त** है।

भविष्य की योजनाएँ

- भारत सरकार **प्राकृतिक खेती के लिए राष्ट्रीय मिशन** को बढ़ावा दे रही है (**कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना**)।
- **मध्यम-शृंखला क्लोरीनयुक्त पैराफिन** और **दीर्घ-शृंखला परफ्लुओरोकार्बोक्सिलिक एसिड (LC-PFCAs)** जैसे अन्य रसायनों पर भी **BRS संमेलन** में चर्चा हो रही है।

Source :DTE

संक्षिप्त समाचार

जगद्गुरु बसवेश्वर

संदर्भ

- प्रधानमंत्री **नरेंद्र मोदी** ने **बसवा जयंती** के अवसर पर **जगद्गुरु बसवेश्वर** की गहन ज्ञानवाणी को स्मरण किया।

जगद्गुरु बसवेश्वर

- **जगद्गुरु बसवेश्वर** (जिन्हें **बसवन्ना** या **बसवेश्वर** भी कहा जाता है) **12वीं शताब्दी** के **दार्शनिक, कवि और समाज सुधारक** थे, जो मुख्य रूप से **कर्नाटक के कल्याण क्षेत्र** में सक्रिय थे।
- उन्होंने **कलचुरी वंश के राजा बिज्जल II** के अधीन **मंत्री** के रूप में कार्य किया और **लिंगायत धार्मिक परंपरा** को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- **लिंगायत** को **हिंदू उपजाति** के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिन्हें **वीरशैव लिंगायत** कहा जाता है और वे **शैव मत** के अनुयायी माने जाते हैं।

बसवेश्वर के योगदान

- **महिला सशक्तीकरण:**
  - उन्होंने **लैंगिक समानता** को बढ़ावा दिया और **अक्का महादेवी** जैसी महिलाओं को **आध्यात्मिक नेता और कवि** बनने के लिए प्रेरित किया।
- **समानता:**
  - **बसवन्ना** ने **जाति व्यवस्था और अनुष्ठानिक पदानुक्रम** को अस्वीकार किया।
  - उन्होंने **अनुभव मंटप** की स्थापना की, जो एक **आध्यात्मिक संसद** थी, जहाँ **सभी जातियों के पुरुष और महिलाएँ समान रूप से विचार-विमर्श** में भाग लेते थे।
- **साहित्य:**
  - **बसवन्ना** के विचार **वचन** के माध्यम से व्यक्त किए गए, जो **संक्षिप्त और गहन कन्नड़ छंद** थे।
  - उन्होंने **आम जनता के लिए आध्यात्मिक ज्ञान को सुलभ** बनाने का कार्य किया।

Source: AIR

थ्रिशूर पूरम

संदर्भ

- थ्रिशूर पूरम आधिकारिक रूप से प्रारंभ हो चुका है, जिसमें भाग लेने वाले मंदिरों में उत्सव की शुरुआत के रूप में औपचारिक ध्वजारोहण (कोडियेट्टम) किया गया है।

थ्रिशूर पूरम

- **स्थान:** थ्रिशूर पूरम केरल में आयोजित होने वाला वार्षिक हिंदू मंदिर महोत्सव है।
- **समय:** यह महोत्सव अप्रैल-मई के महीनों में मनाया जाता है।
- यह महोत्सव **शाक्तन थोम्पुरन**, कोच्चि के महाराजा द्वारा प्रारंभ किया गया था और इसमें परमेक्कावू, तिरुवम्बदी कनिमंगलम, करामुक्कू, लालूर, चूराकोट्टूकारा, पनमुक्कंपल्ली, अय्यंथोले, चेम्बुक्कावू और नेइतिलाकावू जैसे 10 विभिन्न मंदिरों की भागीदारी शामिल है।

महोत्सव के प्रमुख आकर्षण

- **पूरम:** सजाए हुए हाथियों की रैलियाँ, जिनके साथ पारंपरिक ताल वाद्य समूह संगीत प्रस्तुति होती है।
- **कुदामट्टम समारोह:** हाथियों पर रंगीन छतरियों का समन्वित और प्रतिस्पर्धात्मक परिवर्तन, जो विशाल भीड़ को आकर्षित करता है।
- **इलांजीठारा मेलम:** वडक्कुमनाथन मंदिर में आयोजित पारंपरिक ताल वाद्य वाद्यवृंद का प्रदर्शन, जिसमें सैकड़ों कलाकार भाग लेते हैं और दर्शकों से अत्यधिक उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिलती है।

Source: TH

ज़ोजिला दर्रा

संदर्भ

- ज़ोजिला दर्रा, इस वर्ष की शुरुआत में फिर से खोला गया, जिससे पर्यटकों को सियाचिन बेस कैंप तक बिना पूर्व अनुमति के पहुँचने की सुविधा मिली।

ज़ोजिला दर्रा

- यह विश्व के सबसे महत्त्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण उच्च-ऊँचाई वाले दर्रों में से एक है।
- यह जम्मू और कश्मीर में 3,528 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है।
- यह कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच एक महत्त्वपूर्ण संपर्क मार्ग है।
- यह अपनी रणनीतिक महत्ता और अद्भुत हिमालयी दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है।

ज़ोजिला सुरंग परियोजना

- यह एक निर्माणाधीन सुरंग है, जो श्रीनगर-लेह राजमार्ग पर 11,578 फीट (लगभग 3,500 मीटर) की ऊँचाई पर स्थित है।
- यह भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग होगी और एशिया की सबसे लंबी द्वि-दिशात्मक सुरंग होगी।

क्या आप जानते हैं?

- 1947-48 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान, पाकिस्तानी सेना ने दर्रे पर कब्ज़ा कर लिया, जिसके बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन बाइसन प्रारंभ किया।
  - एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, टैंकों को ऊँचाई पर तैनात किया गया, जिससे दुश्मन को आश्चर्य हुआ और दर्रे पर कब्ज़ा कर लिया गया।
  - लेफ्टिनेंट कर्नल राजिंदर सिंह 'स्पैरो' के नेतृत्व में यह ऑपरेशन कारगिल और लेह तक पहुँच को फिर से खोलने में महत्त्वपूर्ण था, और इसे सैन्य इतिहास में एक उल्लेखनीय उपलब्धि के रूप में याद किया जाता है।

Source :ET

अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस

संदर्भ

- 1 मई को अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस, जिसे सामान्यतः मजदूर दिवस के रूप में जाना जाता है, मनाया जाता है।

विवरण

- इसे कुछ क्षेत्रों में मई दिवस भी कहा जाता है, और कुछ स्थानों पर इसे मई के पहले सोमवार को मनाया जाता है।
- यह दिन श्रमिकों के सामाजिक और आर्थिक योगदान को मान्यता देने और वैश्विक स्तर पर श्रमिक अधिकारों और न्यायसंगत श्रम परिस्थितियों के लिए चल रहे संघर्ष पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समर्पित है।
- अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस की उत्पत्ति 19वीं सदी के उत्तरार्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका के श्रमिक आंदोलन से हुई।
  - 1 मई, 1886 को अमेरिका भर में श्रमिकों ने आठ घंटे के कार्यदिवस की माँग को लेकर हड़ताल प्रारंभ की, और इस हड़ताल की स्मृति में 1 मई को चुना गया।
- भारत में प्रथम मजदूर दिवस समारोह 1923 में चेन्नई (तत्कालीन मद्रास) में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान द्वारा आयोजित किया गया था।
- कनाडा का प्रथम मजदूर दिवस समारोह 1872 में हुआ था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के आधिकारिक रूप से इसे मान्यता देने से लगभग एक दशक पहले था।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)

- यह एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है, जिसे 1919 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के लिए बनाए गए वर्साय संधि के तहत स्थापित किया गया था, और यह 1946 में संयुक्त राष्ट्र की पहली विशेष एजेंसी बनी।
- भारत 1919 में ILO का संस्थापक सदस्य बना, जोकि स्वतंत्रता प्राप्त करने से भी पहले की बात है।
- इसमें 187 सदस्य देश हैं। यह श्रम मानकों को निर्धारित करता है, नीतियों को विकसित करता है और सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए गरिमापूर्ण कार्य को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम तैयार करता है।

- यह एकमात्र त्रिपक्षीय संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लाती है।
- इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में स्थित है।
- भारत में श्रम कानून भारतीय सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को चार श्रम संहिताओं में समेकित किया है:
  - **वेतन संहिता, 2019:** वेतन, बोनस भुगतान और समान पारिश्रमिक को नियंत्रित करता है।
  - **औद्योगिक संबंध संहिता, 2020:** ट्रेड यूनियनों, रोजगार की शर्तों, छंटनी और विवाद समाधान से संबंधित है।
  - **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020:** भविष्य निधि, पेंशन, बीमा, मातृत्व लाभ और ग्रेच्युटी से जुड़े कानूनों को समेकित करता है।
  - **व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थल स्थितियाँ संहिता, 2020:** सुरक्षा, कार्य के घंटे, स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित विनियमों को एकीकृत करता है।
- भारत में श्रम कानून संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में लागू होते हैं, हालाँकि असंगठित क्षेत्र में प्रवर्तन एक चुनौती बना हुआ है।
- प्रवर्तन एजेंसियों में श्रम और रोजगार मंत्रालय, राज्य श्रम विभाग और विशिष्ट बोर्ड (जैसे EPFO, ESIC) शामिल हैं।

Source: TH

गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य (FRP)।

संदर्भ

- केंद्र ने 2025-26 चीनी सत्र के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) को ₹355 प्रति क्विंटल तक बढ़ाने की मंजूरी दी है, जो पिछले सत्र में ₹340 प्रति क्विंटल था।

विवरण

- FRP को सरकार द्वारा 2009 में चीनी नियंत्रण आदेश, 1966 में संशोधन करके पेश किया गया था।
- यह कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) के परामर्श से सांविधिक न्यूनतम मूल्य (SMP) की जगह लागू किया गया।
- **उद्देश्य:** किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करना और चीनी मिलों को स्थिर गन्ना आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- FRP प्रणाली ने किसानों को समय पर भुगतान की गारंटी दी, चाहे चीनी मिलों को लाभ हो या हानि।
- इसने चीनी मिलों को यह अनिवार्य किया कि वे गन्ने की डिलीवरी के 14 दिनों के भीतर किसानों को भुगतान करना।
- FRP प्रणाली ने गन्ने से प्राप्त चीनी रिकवरी दर के आधार पर ग्रेडिंग प्रणाली भी लागू की, जिसके अंतर्गत उच्च रिकवरी दर पर किसानों को प्रीमियम मिलता है और निम्न रिकवरी दर पर दरों में कटौती की जाती है।
- इसे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) द्वारा अनुशंसित किया जाता है और कैबिनेट आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) द्वारा निर्धारित किया जाता है।

Source: TH

टिड्डी

समाचार में

- एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि टिड्डियां दृश्य संकेतों के आधार पर संज्ञानात्मक निर्णय लेने की प्रक्रिया का उपयोग करते हुए समूह बनाती हैं, न कि गैस कणों की तरह यादृच्छिक रूप से गतिशील होती हैं। यह व्यवहार-आधारित मॉडल बताता है कि कैसे व्यक्तिगत टिड्डियां दूसरों के साथ संरेखित होती हैं, जिससे झुंड की गतिशीलता को समझने में सुधार होता है।

टिड्डी

- टिड्डियाँ **ऑर्थोप्टेरा** वर्ग के **ऐक्रिडिडी** परिवार से संबंधित होती हैं।
- टिड्डियां बड़े आकार के टिड्डे होते हैं जो लगभग हर महाद्वीप पर पाए जाते हैं और विशाल, विनाशकारी झुंड बनाने की प्रवृत्ति के लिए प्रसिद्ध हैं।

- वे अपने पर्यावरण के अनुसार बड़े हो जाते हैं और रंग बदलते हैं।
- एक प्रक्रिया जिसे **समूहगठन (Gregarisation)** कहा जाता है, के तहत वे अकेले जीव से झुंड में परिवर्तित हो जाती हैं, बड़ी संख्या में एकत्र होकर एक समय में कई किलोमीटर तक यात्रा करती हैं।
- **2019-2022 का रेगिस्तानी टिड्डी प्रकोप**, जो दशकों में सबसे खराब था, ने पूर्वी अफ्रीका और भारत में फसलों को तबाह कर दिया।
  - ऐतिहासिक रूप से, इन 'प्रकोपों' ने व्यापक अकाल और आर्थिक तबाही को जन्म दिया, जिसके कारण इन्हें **"टिड्डी महामारी"** कहा गया।"

Source :TH

चोलिस्तान नहर परियोजना

संदर्भ

- चोलिस्तान नहर परियोजना को पाकिस्तानी सरकार ने सिंध में विरोध प्रदर्शनों के बाद अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है।

ग्रीन पाकिस्तान पहल

- यह एक $3.3 बिलियन की परियोजना है, जिसे पाकिस्तान ने 2023 में प्रारंभ किया।
- GPI का उद्देश्य पाकिस्तान के कृषि क्षेत्र को आधुनिकीकरण करना है, जिसमें नई तकनीकों को लागू करना, किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले इनपुट प्रदान करना और सिंचाई अवसंरचना विकसित करना शामिल है।

चोलिस्तान नहर परियोजना

- चोलिस्तान नहर ग्रीन पाकिस्तान पहल (GPI) के तहत प्रस्तावित छह रणनीतिक नहरों में से एक है।
- यह दक्षिणी पंजाब के शुष्क चोलिस्तान क्षेत्र में लगभग 5,000 वर्ग किमी (1.2 मिलियन एकड़) भूमि की सिंचाई के लिए डिज़ाइन की गई है।
- इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग $800 मिलियन है और यह मुख्य रूप से सतलुज नदी के जल का उपयोग करेगी।

Source: IE

शिव शक्ति पॉइंट

सन्दर्भ

- भारत के चंद्रयान-3 मिशन ने चंद्रमा के शिव शक्ति बिंदु पर आदिम चंद्र मेंटल सामग्रियों के महत्त्वपूर्ण साक्ष्य खोजे हैं।

परिचय

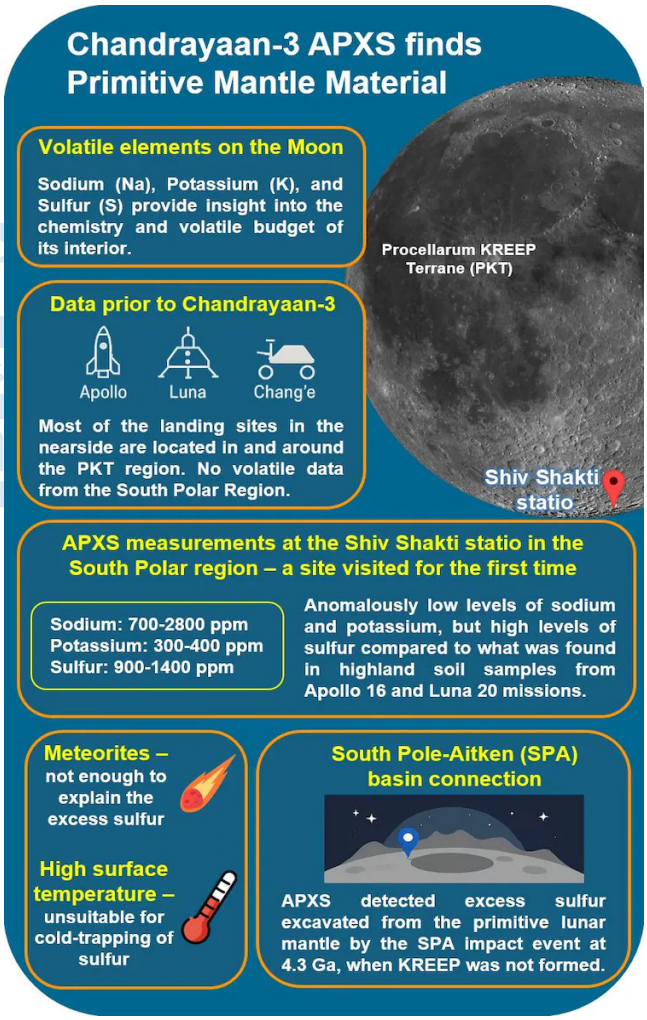

- इन निष्कर्षों से शिव शक्ति बिंदु के महत्त्व को बल मिलता है, क्योंकि यह आदिम मेंटल सामग्रियों के नमूने लेने का स्थान है, जिससे चंद्रमा के प्रारंभिक विकास के दौरान लावा क्रिस्टलीकरण और वाष्पशील वितरण के समय को स्पष्ट किया जा सकता है।

शिव शक्ति पॉइंट

- यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 के चंद्र लैंडर का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त स्थल है।
- ग्रहों का नामकरण पृथ्वी पर स्थानों के नामकरण जैसा है।
- यह ग्रहों और चंद्रमाओं पर विशिष्ट विशेषताओं की पहचान करने और उनके बारे में बात करने में सहायता करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ (IAU) द्वारा बनाई गई इस सूची में 1919 से ग्रहों, चंद्रमाओं और यहाँ तक कि कुछ वलय प्रणालियों पर विभिन्न स्थानों को दिए गए सभी नाम शामिल हैं।

Source: TH